न्यायालय उपजिला कलक्टर, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुरेश राव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :–43/2023
जीसीएमएस नं.–**2023/111**

1. सुखविन्द्रसिंह पुत्र निरंजनसिंह जाति जटसिख निवासी चक 20 ए (बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. कुलविन्द्रकौर पत्नी बलविन्द्रसिंह पुत्री निरंजनसिंह जाति जटसिख निवासी चक 16 ए पी डी (बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. जसविन्द्रकौर पुत्री निरंजनसिंह पत्नी परमजीतसिंह जाति जटसिख निवासी चक 14 पी पतरोड़ा तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. बलविन्द्रकौर पत्नी निरंजनसिंह जाति जटसिख निवासी चक 20 ए (बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

––– **प्रार्थीगण**

बनाम्

1. निरंजनसिंह पुत्र गुलजारसिंह जाति जटसिख निवासी चक 20 ए (बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. उप पंजियक, अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

––––**अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

वकील उपस्थित–
1. श्री हरेन्द्रसिंह सेखो एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री योगेन्द्र कुमार एडवोकेट अप्रार्थी सं.–1 की ओर से

दिनांक :–27/03/26

– :: निर्णय :: –

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि वाके चक 20 ए (बी) तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नम्बर 12 पत्थर संख्या 314/451 का कि.नं.–1 ता 15 प्रत्येक का 0.253 हैक्टर कुल 3.795 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज है। आयंदा उक्त कृषि भूमि को प्रार्थना पत्र में विवादित कृषि भूमि कहा जाऐगा। जमाबन्दी की प्रति सलग्न वाद पत्र है। प्रार्थी सं.–1 ता 3 अप्रार्थी सं.–1 के पुत्र व पुत्रीयां है तथा प्रार्थी सं.–4 अप्रार्थी सं.–1 की विवाहिता पत्नी है तथा प्रार्थीगण एवं अपार्थीगण धर्मतः हिन्दू (सिख) है और हिन्दू विधि / हिन्दू उतराधिकार विधि से शासित होते है और प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य है। विवादित कृषि भूमि प्रार्थीगण सं.–1 ता 3 के दादा गुलजारसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में सयुक्तं परिवार की पैतृक सम्पति से अर्जित कमाई गई घन राशि से अपने पुत्रो निरंजनसिहं (अप्रार्थी सं.–1), जीतसिंह, मलकीतसिंह के नाम से खरीद की गई थी तत्पश्चात जीतसिंह व मलकीतसिंह द्वारा अपने अपने हिस्सा की भूमि अप्रार्थी सं.–1 को जरिये तबादलानामा प्रदत कर दी गई और उक्त समस्त विवादित कृषि भूमि [illegible] रिकार्ड में दर्ज हुई थी इस प्रकार उक्त विवादित कृषि भूमि प्रार्थी[illegible] सं.[illegible] ता 3 के दादा द्वारा अपने जीवनकाल में खरीद की ग[illegible] सयुक्तं सम्पति है विवादित कृषि भूमि अप्रा[illegible] सं.–1 की स्वय[illegible] सम्पति नहीं है बल्कि अप्रार्थी सं.–1 को विरास्त में सयु[illegible] के नाते अपने पिता से प्राप्त हुई है जो अप्रार्थी सं.–1 के नाम से राज[illegible] रिकार्ड में दर्ज है, जिसमे प्रार्थीगण का हक व हिस्सा निहित है। प्रार्थीगण यहां यह भी स्पष्ट करते है कि प्रार्थी सं.–1 ता 3 अप्रार्थी सं.–1 के पुत्र व पुत्रीयां है तथा प्रार्थी सं.–4 अप्रार्थी सं.–1 की विवाहिता पत्नी है तथा प्रार्थीगण के भरण पोषण एवं आजिवीका का एक मात्र साधन उक्त विवादित भूमि है तथा अप्रार्थी सं.–1 द्वारा अपनी उक्त विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.30 16:43:49 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कृषि भूमि के सम्बध में यह व्यवस्था की गई कि उक्त विवादित भूमि अप्रार्थी सं.–1 के स्वयं व सयुक्तं परिवार के भरण पोषण व जीवन यापन के लिए उसके स्वयं के पास रहेगी और उसकी मृत्यु उपरांत उक्त विवादित भूमि उसके पुत्र, पुत्रीयों व पत्नी यानि प्रार्थीगण के पास रहेगी तथा अप्रार्थी सं.–1 द्वारा उक्त भूमि को पाचं हिस्सो में विभक्त कर 1/5 हिस्सा भूमि अपने पास रखकर शेष भूमि प्रार्थीगण को प्रदत कर दी गई इसी घरेलू मौखिक पारिवारिक समझौता के अनुसार उक्त विवादित कृषि भूमि प्रार्थीगण के अधिकार एवं अधिपत्य में चली आ रही है तथा उक्त विवादित कृषि भूमि को सयुक्तं रूप से काश्त कर उसकी अर्जित आय से प्रार्थीगण का जीवन यापन एवं भरण पोषण होता आ रहा है तथा चूकि प्रार्थी सं.–1 ता 3 का उक्त कृषि भूमि में सहदायिकी होने के नाते हिस्सा है तथा प्रार्थी सं.–4 का अप्रार्थी सं.–1 की विवाहित हिन्दू पत्नी होने के नाते भरण पोषण प्राप्त करने हेतू उस सीमा तक अधिकार निहित है तथा प्रार्थी सं.–4 का विवादित भूमि पर भरण पोषण करने हेतू प्रथम अधिकार है। अप्रार्थी सं.–1 जो कि करीब 72 वर्ष का व्यक्ति है तथा वृद्धावस्था की ओर अवसर है तथा अप्रार्थी सं। पिछले काफी समय से मानसिक रूप से बीमार चल रहा है तथा जिसका ईलाज भी चल रहा है ईलाज सम्बधी चिकित्सक की पर्चीया सलग्नं है। अप्रार्थी सं.–1 की मानसिक बीमारी के चलते अप्रार्थी सं.–1 को कुछ रिश्तेदारो ने अपने प्रभाव में ले रखा है तथा जिनके प्रभाव में आकर अप्रार्थी सं.–1 उक्त विवादित कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है तथा अब प्रार्थीगण को यह ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी सं.–1 अन्य लोगो के बहकावे में आकर सयुक्त परिवार की उक्त विवादित कृषि भूमि को अन्य किसी को अन्यत्र हस्तांतरित रहन बैचान करने के प्रयासरत है और कुछ दलाल किस्म के व्यक्ति जमीन को देखते फिर रहे है। जिसका ज्ञान होने पर अर्सा 3 दिन पूर्व प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं.–1 को समझाया कि उक्त विवादित भूमि उनकी पारिवारिक सम्पति है जिसमें प्रार्थीगण का भी हित निहित है इसलिए आप परिवार की उक्त सम्पति को किसी तरह से अन्यत्र बैचान ना करे लेकिन अप्रार्थी सं.–1 ने प्रार्थीगण की कोई बात सुनने से इन्कार कर दिया और स्पष्ट शब्दो मे कहा कि वह अपनी उक्त कृषि भूमि को शीघ्र ही अन्यत्र बेचान कर देगा। विवादित कृषि भूमि प्रार्थीगण के सयुक्तं परिवार की सम्पति है जिसमें प्रार्थीगण का हित निहित है तथा अप्रार्थी सं.–1 के द्वारा की गई पारिवारिक व्यवस्था के अनुरूप प्रार्थीगण के सयुक्त अधिकार एवं अधिपत्य में चली आ रही है तथा प्रार्थीगण की आजिवीका का एक मात्र साधन विवादित भूमि ही है लेकिन अप्राथर्थी सं.–1 अन्य लोगो के बहकावे में आकर विवादित भूमि में प्रार्थीगण को उनके हक अधिकारो से वंचित करने के प्रयासरत है। जिस सम्बंध में अप्रार्थी सं.–1 ने अर्सा 3 दिन पूर्व स्पष्ट धमकी भी दी है कि वह प्रार्थीगण को कोई हिस्सा नहीं देगा और ना ही किसी परिवारिक व्यवस्था / समझौता को मानता है बल्कि वह विवादित भूमि को शीघ्र ही अन्यत्र बेचान कर खुर्द बुर्द कर देगा अगर अप्रार्थी सं.–1 प्रार्थीगण को उनके हक अधिकार, हक से महरूम कर देता है और विवादित भूमि का बेचान अन्यत्र करने में अप्रार्थी सं.–1 कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। जिसकी क्षति पुर्ति मुद्रा की एवज मे नंही हो सकेगी। इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र [illegible] मूल वाद अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पा[illegible] जावे कि अप्रार्थी सं.–1 विवादित कृषि भूमि वाके चक 20 [illegible] नम्बर 12 पत्थर नं.–314/451 का किला नं.[illegible] ता 15 प्रत्येक का [illegible] हैक्टर कुल 3.795 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी का कि[illegible] रहन, बैय, दान करने से निषिद्ध रहे तथा [illegible] यथावत बनाए रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.30 15:43:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं.–1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थना पत्र में चक 20 ए (बी) तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नम्बर 12 पत्थर संख्या 314/451 का किला नं.–1 ता

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

15 प्रत्येक का 0.253 हेक्टर कुल 3.795 हैक्टर यानि 15 बीघा कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से होना स्वीकार है लेकिन मेरी उक्त कृषि भूमि हड़पने के लिए प्रार्थीगण द्वारा गलत, मिथ्या तथ्यों व आधारों पर उक्त कृषि भूमि का विवादित किया जा रहा है। अप्रार्थी सं.–1 के प्रार्थी सं.–1 ता 3 पुत्र व पुत्रियां व अप्रार्थी सं.–4 विवाहिता पत्नी होना व प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं.–1 का धर्मतः सिख होना स्वीकार है लेकिन शेष मद सही नहीं होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं.–1 संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार के तदस्य नहीं है और प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं.–1 का संयुक्त हिन्दू परिवार नही है। प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के दादा एवं मुझ अप्रार्थी से 1 के पिता गुलजार सिंह ने संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पत्ति की अर्जित कमाई धनराशि से अपने पुत्रों मुझ अप्रार्थी सं.–1 निरंजन सिंह, जीत सिंह, मलकीत सिंह के नाम से विवादित कृषि भूमि या कोई अन्य कोई सम्पत्ति या कृषि भूमि कभी खरीद नहीं की गई। मुझ अप्रार्थी सं.–1 ने अपनी खुद की कमाई से चक 1 एक्स तहसील करणपुर में अर्जित कमाई से कृषि भूमि खरीद/अर्जित की गई थी, जिसमें से 5 बीघा जरीवशुदा कृषि भूमि के बैयनामा दिनांक 21.08.1987 की चित्र प्रति सलंग्न जवाब है। मुझ अप्रार्थी सं.–1 व उसके भाईयों द्वारा अलग–अलग बैयनामाजात के जरिये अपनी स्वअर्जित कमाई से चक 20 ए तहसील अनूपगढ़ में विवादित कृषि भूमि खरीद की गई है। पूर्ण सिंह पुत्र नत्था सिंह से चक 20 ए का मुरब्बा नं.–314/451 का किला नं.–11 से 13 कुल 3 बीघा कृषि भूमि मुझ अप्रार्थी सं.–1 द्वारा अपनी स्वअर्जित कमाई से प्रतिफल की ऐवज में तथा किला नं.–1, 14, 15 की कुल 3 बीघा कृषि भूमि मेरे भाई जीत सिंह ने अपनी स्वअर्जित कमाई से प्रतिफल की ऐवज में जरिये अलग–अलग बैयनामा दिनांक 10.06.1980 को खरीद की है तथा किला नं.–6, 7, 8, 9 का कुल 4 बीघा कृषि कृषि भूमि मेरे भाई मलकीत सिंह ने अपनी स्वअर्जित कमाई से प्रतिफल की ऐवज जरिये बैयनामा दिनांक 11.06.1980 के खरीद की है और इसके उपरांत जगरूप सिंह पुत्र भोला सिंह से किला नं.–10 सालम, 2 सालम, 3 का 10 बिस्वा कुल 2 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि मुझ अप्रार्थी सं.–1 निरंजन सिंह एवं उसके भाईयों मलकीयत सिंह, जीत सिंह ने संयुक्त रूप से अपनी स्वअर्जित कमाई से प्रतिफल की ऐवज में जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 16.01.1981 के खरीद की है, और जगरूप सिंह पुत्र भोला सिंह से किला नं.–3 का 10 विस्वा, किला नं.–4 सालन, 5 सालम कुल 2 बीघा 10 विस्वा कृषि भूमि मुझ अप्रार्थी सं.–1 निरंजन सिंह ने अपनी स्वअर्जित कमाई से जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 23.04.1999 के खरीद की है। चित्र प्रतियाँ बैयनामा दिनांक 10.06.1980 बहक निरंजन सिंह, दिनांक 10.06.1980 बहक मलकीयत सिंह, दिनांक 11.06.1980 बहक जीत सिंह, दिनांक 16.01.1981 बहक निरंजन सिंह, मलकीयत सिंह, जीत सिंह, बैयनामा दिनाक 23.04.199 बहक निरंजन सिंह सलंग्न जवाब है। तदुपरांत मुझ अप्रार्थी सं.–1 द्वारा कृषि भूमि का अपने भाईयों के साथ तबादला किया गया जिसमें मुझ अप्रार्थी सं.–1 द्वारा अपनी करणपुर स्थित कृषि भूमि अपने भाईयों को तबादला में दी गई तथा उनके ऐवज में अपने भाईयों मलकीयत सिंह व जीत सिंह से चक 20ए (वर्तमान चक 20ए (बी) की उनके नाम की उक्त वर्णित खरीदशुदा कृषि भूमि मुझ अप्रार्थी सं.–1 निरंजन सिंह द्वारा तबादला में प्राप्त की गई। मुझ अप्रार्थी सं.–1 ने अपनी कमाई से खरीदशुदा व स्वअर्जित 1 एक्स की कृषि भूमि की बदले [illegible] मलकीयत सिंह–जीत सिंह से चक 20ए (बी) का मुरब्बा नं.–314/451 [illegible] में प्राप्त कृषि भूमि मुझ अप्रार्थी सं.–1 की स्वअर्जित [illegible] तमाम विवादित कृषि भूमि मुझ अप्रार्थी सं.–1 स्वअर्जित व खरीदशुदा स[illegible] है जिसका में अप्रार्थी सं.–1 विवादित कृषि भूमि का पूर्ण व एकमात्र स्वामी है और इस विवादित कृषि भूमि का हर प्रकार पूर्ण व निर्बाध रूप से उपयोग[illegible]भोग, काश्त का अधिकार मुझ अप्रार्थी सं.–1 को प्राप्त है। ना ही विवादित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की पारिवारिक व सयुक्त या पैतृक सम्पत्ति है, ना ही अप्रार्थी सं.–1 को विवादित सम्पत्ति संयुक्त परिवार का सदस्य होने के नाते अपने पिता से विरास्तन में प्राप्त हुई है और ना ही विवादित सम्पत्ति अप्रार्थी सं.–1 के पिता की खरीदशुदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.30 15:43:49 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सम्पत्ति है। ना ही विवादित कृषि भूमि पैतृक या सहदायिकी या संयुक्त हिन्दू खानदान की जायदाद है। और ना ही प्रार्थीगण का विवादित कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई हक, हिस्सा या अधिकार है। ना ही मेरे जीवनकाल में मेरी स्वअर्जित जायदाद विवादित कृषि भूमि में प्रार्थीगण कोई हक या हिस्सा लेने के हकदार है। अप्रार्थी सं.–1 के प्रार्थी सं.–1 से 3 पुत्र व पुत्रियाँ व प्रार्थी सं.–4 पत्नी होने का तथ्य सही है लेकिन शेष तथ्य सही अंकित नहीं होने के कारण अस्वीकार है। विवादित कृषि भूमि प्रार्थीगण की आजीविका का साधन नहीं है और ना ही अप्रार्थी सं.–1 द्वारा विवादित भूमि के सबंध में कभी कोई व्यवस्था की गई। इस मद में वर्णित व्यवस्था गलत व मिथ्या है। ना ही अप्रार्थी सं.–1 द्वारा कभी विवादित भूमि को पांच हिस्सों में विभक्त करके 1/5 हिस्सा भूमि अपने पास रखकर शेष भूमि प्रार्थीगण को प्रदत्त की गई। ना ही प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं.–1 के कभी किसी प्रकार का कोई घरेलू मौखिक पारिवारिक समझौता हुआ और ना ही किसी घरेलू मौखिक पारिवारिक समझौता के तहत विवादित भूमि प्रार्थीगण के अधिकार व अधिपत्य, कब्जा काश्त में है। ना ही प्रार्थी सं.–1 ता 3 का सहदायिक होने के नाम विवादित भूमि में हक या हिस्सा है और ना ही प्रार्थी सं.–4 का अप्रार्थी सं.–4 का अप्रार्थी सं.–1 की पत्नी होने के नाते विवादित भूमि में कोई हित या अधिकार या भरण–पोषण है। ना ही प्रार्थीगण विवादित कृषि भूमि में किसी प्रकार से अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र गलत, झूठा व निराधार है जो काबिल खारिज है। प्रार्थीगण के अपने जीवनकाल में अपनी स्वअर्जित खातेदारी व पूर्ण स्वामित्व की विवादित कृषि भूमि के निर्बाध, उपयोग, उपभोग का अधिकार है जिसमें प्रार्थीगण किसी प्रकार का किसी प्रकार का कोई हक या अधिकार अप्रार्थी सं.–1 के जीवनकाल में नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की Locus Standi व अधिकारिता नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र Frivolous, vague and abuse of judicial process है। अप्रार्थी सं.–1 वृद्ध व सीनीयर सिटीजन अवश्य है लेकिन अप्रार्थी सं.–1 मानसिक रूप से बीमार नहीं है और ना ही अप्रार्थी सं.–1 का कोई मानसिक इलाज चला रहा बल्कि मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है तथा अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह से समझता है तथा स्व–विवेक से निर्णय लेने में पूर्णतया सक्षम है। ना ही अप्रार्थी सं.–1 किसी रिश्तेदार के दबाव व प्रभाव, बहकावे में है और ना ही किसी रिश्तेदार या व्यक्ति के बहकावे, दबाव व प्रभाव में आकर अप्रार्थी सं.–1 विवादित कृषि भूमि खुर्द–बुर्द करना चाहता है। मुझ अप्रार्थी सं.–1 के साथ प्रार्थीगण द्वारा लडाई, झगड़ा किया जाता है तथा मेरी सम्पत्ति हड़पने व खुर्द–बुर्द करने के लिए मुझे अप्रार्थी को निरन्तर तंग, परेशान किया जा रहा है, प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.–4 द्वारा अत्यधिक तंग, परेशान, लडाई, झगडा दुर्व्यवहार किया गया जिस पर मुझ अप्रार्थी सं.–1 द्वारा प्रार्थी सं.–1 अपने पुत्र एवं अप्रार्थ्थी सं.–4 बलवीर कौर अपनी पत्नी को वर्ष 2019 में अपने अपनी वर्तमान सम्पत्ति एवं भविष्य में अर्जित होने वाली सम्पत्ति से बेदखल कर दिया गया है और इस बाबत सूचना दिनांकित 08.02.2019 का प्रकाशन अपने अधिवक्ता हंसराज यादव के जरिये अखबार में करवाया था। सच्चाई है कि प्रार्थीगण मेरी कृषि भूमि हडपना चाहते है और मुझ अप्रार्थी सं.–1 को विवादित कृषि भूमि से वंचित करना चाहते है, इस हेतु प्रार्थीगण निरन्तर प्रयासरत है। प्रार्थी सं.–1 लगातार मुझ अप्रार्थी सं.–1 पर यह दबाव बनाता [illegible] प्रार्थी सं.–1 विवादित कृषि भूमि में से 5 बीघा प्रार्थी सं.–1 के नाम से 5 [illegible] प्रार्थी [illegible]–1 से लडके व 5 बीघा प्रार्थी सं.–4 के नाम से करवा दे व जिस अप्रार्थी सं.–1 [illegible] हर बार कहा कि विवादित भूमि उसकी वृद्धावस्था का एकमात्र साधन व सहारा है इसलिए यह ऐसा नहीं करेगा, अगर अप्रार्थी सं.–1 सारी जमीन तुम्हे दे देगा तो उसके पास आजीविका का कोई साधन व सहारा नहीं करेगा, जिस पर प्रार्थी [illegible]–1 ने मुझ अप्रार्थी सं.–1 को तंग–परेशान, मारपीट, गाली–गलौच व अमानवीय व्यवहार कर घर से निकाल दिया और प्रार्थी सं.–1 ने कहा कि तू जब तक हमारे नाम से जमीन नहीं लगवायेगा तुम्हें घर पर रहने नहीं दूंगा तथा प्रार्थी सं.–1 ने जबरदस्ती

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.30 16:43:49 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला कलेक्टर
जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

विवादित कृषि भूमि की सारी फसल व आमदन उठाकर अप्रार्थी सं.–1 को उससे मरहूम कर दिया और प्रार्थी सं.–1 शेष प्रार्थीगण के साथ मिलकर विवादित कृषि भूमि का जबरन कब्जा करने व विवादित भूमि हडप कर खुर्द–बुर्द करने की फिराक में है इसी उद्देश्य से प्रार्थीगण से साजिशाना झूठा दावा पेश किया है। ना ही दावा से पूर्व अप्रार्थी सं.–1 ने किन्ही दलाल किस्म के व्यक्ति को जमीन बेचने/रहन करने हेतु दिखाई है। ना ही दावा से 3 दिन पूर्व मुझ अप्रार्थी सं.–1 से प्रार्थीगण मिले हैं इसलिए इस मद में दर्ज किसी प्रकार का कथन या बात मुझ अप्रार्थी सं.–1 को प्रार्थीगण द्वारा कहने और मुझ अप्रार्थी सं.–1 द्वारा इंकार करने या भूमि बेचान करने की धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। प्रार्थीगण ने वाद हेतुक पैदा करने की गर्ज से झूठी कहानी बनायी है। प्रार्थीगण को मुझ अप्रार्थी सं.–1 के खिलाफ किसी प्रकार का कोई वाद हेतुक प्राप्त नहीं है। वाद हेतुक के अभाव में वाद–पत्र एवं प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी. एक्ट काबिल खारिज है। अप्रार्थी सं.–1 ने विवादित कृषि स्वअर्जित व खरीदशुदा होने का दस्तावेजी सबूत पेश किया है तथा दस्तावेजी सबूत / साक्ष्य के समक्ष प्रार्थीगण का मौखिक कथन महत्वहीन व औचित्यहीन है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। विवादित कृषि भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त परिवार की सम्पत्ति नहीं है और ना ही विवादित कृषि भूमि में प्रार्थीगण का हित निहित है इसलिए अप्रार्थी सं.–1 द्वारा प्रार्थीगण को उनके हक व अधिकार से वंचित करने का कथन पूर्णतया गलत, निराधार व झूठा है। ना ही अप्रार्थी सं.–1 द्वारा कभी कोई पारिवारिक व्यवस्था या घरेलू मौखिक पारिवारिक समझौता के तहत प्रार्थीगण को प्रदत्त की है और ना ही विवादित कृषि भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त अधिकार व अधिपत्य में है। ना ही किसी व्यक्ति के बहकावे में आकर अप्रार्थी सं.–1 विवादित कृषि भमि को रहन या बेचान कर रहा है। ना ही वाद / प्रार्थना–पत्र से तीन दिन पूर्व मुझ अप्रार्थी सं.–1 से प्रार्थीगण मिले और ना ही कोई बातचीत हुई इसलिए धमकी देने की कथन गलत व असत्य है। प्रार्थीगण का विवादित भूमि में हक, अधिकार, अधिपत्य नहीं है इसलिए प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति नहीं है। मुझ अप्रार्थी सं.–1 अपने स्वअर्जित खरीदशुदा कृषि भूमि का एकल स्वामी, खातेदार टीनेन्ट है अंगर माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को कोई अनुतोष प्रदत्त किया जाता है तो वास्तव में अपूर्णीय क्षति मुझ अप्रार्थी सं.–1 को होगी तथा मुझ अप्रार्थी सं.–1 के हितों व अधिकारों पर कुठाराघात हो और प्रार्थीगण अपने अनुचित व अवैध मकसद में कामयाब हो जायेगें। अप्रार्थी सं.–1 विवादित कृषि भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार टीनेन्ट है और रिकॉर्डेड खातेदार टीनेन्ट अप्रार्थी सं.–1 के खिलाफ प्रार्थीगण किसी प्रकार का अस्थाई निषेधाज्ञा या अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र काबिल खारिज है।

न्यायालय द्वारा बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान कथित अभिवचनों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजातों, अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया गया। धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये हमारे समक्ष तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से हैः–

प्रथम दृष्टया प्रकरणः–यह कि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि विवादित कृषि भूमि प्रार्थीगण सं.–1 ता 3 के दादा गुलजारसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में सयुक्तं परिवार की पैतृक सम्पति से अर्जित [illegible] धन राशि से अपने पुत्रो निरंजनसिहं (अप्रार्थी सं.–1), जीतसिंह, मलकी[illegible]म से खरीद की गई थी तत्पश्चात जीतसिंह व मलक[illegible] की भूमि अप्रार्थी सं.–1 को जरिये तबादलानामा प्रदत्त कर दी गई और [illegible] समस्त विवादित कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई थी इस प्रकार उक्त विवादित कृषि भूमि प्रार्थीगण सं.–1 ता 3 के दाद[illegible]रा अपने जीवनकाल में खरीद की गई होने से सयुक्तं परिवार की परिवारिक व सयुक्तं सम्पति है विवादित कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 की स्वयअर्जित सम्पति नहीं है बल्कि अप्रार्थी सं.–1 को विरास्त में सयुक्तं परिवार का सदस्य होने के नाते अपने पिता से प्राप्त हुई है जो अप्रार्थी सं.–1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमे

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.30 15:43:49 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

प्रार्थीगण का हक व हिस्सा निहित है। इसलिये प्रार्थी के अधिकारों की सुरक्षा के लिये अप्रार्थी को अस्थाई निषेद्याज्ञा से पाबंद किया जावे। अप्रार्थी सं.–1 ने अभिकथन किया अप्रार्थी संख्या 1 की उक्त विवादित भूमि प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के दादा एवं मुझ अप्रार्थी सं.–1 के पिता गुलजार सिंह ने संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पत्ति की अर्जित कमाई धनराशि से अपने पुत्रों मुझ अप्रार्थी सं.–1 निरंजन सिंह, जीत सिंह, मलकीत सिंह के नाम से विवादित कृषि भूमि या कोई अन्य कोई सम्पत्ति या कृषि भूमि कभी खरीद नहीं की गई। मुझ अप्रार्थी सं.–1 ने अपनी खुद की कमाई से चक 1 एक्स तहसील करणपुर में अर्जित कमाई से कृषि भूमि खरीद/अर्जित की गई थी, जिसमें से 5 बीघा खरीदशुदा कृषि भूमि के बैयनामा दिनांक 21.08.1987 की चित्र प्रति सलंग्न है। मुझ अप्रार्थी सं.–1 व उसके भाईयों द्वारा अलग–अलग बैयनामाजात के जरिये अपनी स्वअर्जित कमाई से चक 20 ए तहसील अनूपगढ़ में विवादित कृषि भूमि खरीद की गई है। खरीदशुदा स्वःअर्जित कृषि भूमि है, अप्रार्थी सं.–1 ने विवादित कृषि स्वअर्जित व खरीदशुदा होने का दस्तावेजी सबूत पेश किए है। विवादित भूमि पैतृक सम्पति नहीं है तथा अप्रार्थी संख्या–1 अभी जीवित है। इस भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 के अलावा किसी का अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 अपने जीवनकाल में स्वंय अकेला ही उक्त कृषि भूमि की मालिक व स्वामी है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि रिकार्डेड खातेदार का तकार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता चूंकि विवादित भूमि अप्रार्थी सं.–1 की खरीदशुदा स्वःअर्जित कृषि भूमि है अप्रार्थी संख्या 1 के जीवनकाल में उसकी खरीदशुदा स्वअर्जित सम्पत्ति में किसी का कोई हक व अधिकार नहीं है। जिसकी पुष्टि प्रथम दृष्टया से भूमि खरीद बैयनामों से होती है। विवादित कृषि भूमि का अप्रार्थी सं. 1 अकेला व पूर्ण स्वामी व रिकॉर्डेड खातेदार है और अप्रार्थी सं.–1 अपनी स्वःअर्जित कृषि भूमि का निर्बाध उपयोग, उपभोग करने का विधिअनुसार हकदार है। अप्रार्थी सं.–1 को अस्थाई निषेद्याज्ञा से पाबंद और निर्बन्धित करवाने के प्रार्थीगण कतई अधिकारी नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

सुविधा का संतुलनः–जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष मे सिद्ध नहीं होता है ऐसी स्थिति में अगर अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थीगण की अपेक्षा अप्रार्थी को ज्यादा असुविधा होगी एवं अप्रार्थी कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वंचित हो जायेगी। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

अपूर्णीय क्षतिः–प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में तय हो चुके है तथा प्रार्थीगण अपने पक्ष में दोनों बिन्दू साबित करने में असफल रही है। अप्रार्थी जो कि रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है इस स्थिति में अगर अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थी अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हो जायेगी। जिससे अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के विरूद्ध तय किया जाता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के विरूद्ध तय किये गये है [illegible] न्यायालय से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. के माध्यम से अनुतोष [illegible] के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 राज. काश्त [illegible] अधिनियम खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज **दिनांक** 27/03/26 को मेरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.30 15:43:49 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़